रिट याचिका संख्या 5909/2009 विनोद कुमार शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य

विषयः याचीगण द्वारा रैंकर उपनिरीक्षक, परीक्षा के सम्बन्ध में याचिका योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2010 को निर्देशित किया गया कि उ०प्र० उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2009 में संशोधित नियम जो दिनांक 02.04.2009 से लागू किया गया है, इसका प्रभाव दिनांक 02.04.2009 को अथवा उसके बाद की रिक्तियों में लागू होगा।

निर्णय— मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2010 को पुनः सुनवाई कर अपने पूर्व आदेश को निम्नवत संशोधित कर दिया गया:—

After hearing the counsel for the parties at length, I am of the considered opinion that interim order dated 16-09-2009 requires to be modified to the extent that in the promotion on the post of Sub-Inspector Civil Police two post shall be kept reserved for the petitioners during the pendency of the wirt petition. The interim order dated 16-09-2009 is according modified.

List this case in the Month of February, 2011 on peremptorily hearing before the appropriate court. It shall not be treated as tied up.